

संदर्भ: आईआरडीएआई/ईएण्डसी/ओआरडी/विविध/124/09/2024

Ref: IRDAI/E&C/ORD/MISC/124/09/2024

मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
Order in the matter of Marsh India Insurance Brokers Pvt Ltd.

1. निम्नलिखित के आधार पर / Based on the

- i) प्राधिकरण द्वारा 10 से 18 जनवरी, 2022 तक संचालित दूरस्थ आनसाइट निरीक्षण के संबंध में मेसर्स मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. **(दलाल)** को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस ("एससीएन") संदर्भ सं. आईआरडीएआई/ प्रवर्तन/2022/679/एससीएन दिनांक 30 जनवरी, 2024।

Show Cause Notice ("SCN") reference no. IRDA/ Enforcement / 2022 / 679 / SCN dated 30th January, 2024 issued to M/s Marsh India Insurance Brokers Pvt Ltd. **(Broker)** in connection with the remote onsite inspection conducted by the Authority from 10th to 18th January, 2022.

- ii) दलाल के द्वारा उपर्युक्त एससीएन के उत्तर में ई-मेल दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अनुसार किये गये प्रस्तुतीकरण।

Submissions made by the Broker vide email dated 21st February, 2024 in response to the aforesaid SCN.

- iii) प्राधिकरण के दो पूर्णकालिक सदस्यों- श्री पी. के. अरोड़ा (सदस्य-बीमांकक) और श्री राजय कुमार सिन्हा (सदस्य - वित्त एवं निवेश) के पैनल द्वारा 30 जुलाई, 2024 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान दलाल के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।

Submissions made by the Broker during the personal hearing held on 30th July, 2024 at 2.30 PM, by the panel of Two Whole Time Members of the Authority- Shri PK Arora (Member-Actuary) and Shri Rajay Kumar Sinha (Member-F&I).

- iv) दलाल के द्वारा ई-मेल दिनांक 14 अगस्त और 20 अगस्त, 2024 के द्वारा किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण।

Further submissions made by the Broker vide email dated 14th August and 20th August, 2024.

2. पृष्ठभूमि / Background

- 2.1. प्राधिकरण ने 10 से 18 जनवरी, 2022 तक मेसर्स मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. (दलाल) का एक दूरस्थ निरीक्षण संचालित किया था। उक्त निरीक्षण की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के कुछ उल्लंघन विदित हुए।

The Authority had conducted a remote inspection of M/s Marsh India Insurance Brokers Pvt Ltd. (Broker) from 10th to 18th January, 2022. The inspection report, inter alia, revealed certain violations of provisions of the Insurance Act, 1938 and Regulations and Guidelines issued thereunder.

2.2. उक्त निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति दलाल को उनके उत्तर की अपेक्षा करते हुए 17 फरवरी, 2022 को अग्रेषित की गई तथा उनका उत्तर पत्र दिनांक 7 मार्च, 2022 के द्वारा प्राप्त हुआ।

A copy of the inspection report was forwarded to the Broker on 17th February, 2022 seeking their response and the response was received vide letter dated 7th March, 2022.

2.3. दलाल के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने पर, एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दलाल ने उक्त एससीएन का उत्तर पत्र दिनांक 21 फरवरी 2024 के द्वारा दिया। दलाल के द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार, उक्त दलाल को सुनवाई का अवसर 30 जुलाई, 2024 को प्रदान किया गया।

On examining the submissions made by the Broker, a show cause notice (SCN) was issued on 30th January, 2024. The Broker replied to the SCN vide letter dated 21st February, 2024. As requested by the Broker, personal hearing was granted to the Broker on 30th July, 2024.

2.4. दलाल की ओर से, श्री संजय केडिया, प्रधान अधिकारी व निदेशक, श्री जोसेफ लोणप्पन, प्रमुख, विशेषताएँ और स्थानन, सुश्री रीना भटनागर, वरिष्ठ व्यवसाय निदेशक, श्री जेरी फ्लाहाइव, जनरल काउंसिल, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका, श्री प्रशांत पांडे, मुख्य विधि और अनुपालन अधिकारी और सुश्री जयंती राडरीग, प्रमुख, अनुपालन तथा प्राधिकरण की ओर से श्री पी. के. अरोड़ा (सदस्य-बीमांकक), श्री राजय कुमार सिन्हा (सदस्य-वित्त एवं निवेश), श्री आर. के. शर्मा, (मुख्य महाप्रबंधक), श्री टी.वी. राव, (महाप्रबंधक), श्री संजय कुमार वर्मा (महाप्रबंधक) और श्री साकेत गुप्ता (प्रबंधक) उक्त सुनवाई में उपस्थित थे।

On behalf of the Broker, Shri Sanjay Kedia, Principal Officer & Director; Shri Joseph Lonappan, Head of Specialities & Placements; Ms. Reena Bhatnagar, Senior Business Director; Shri Jerry Flahive, General Counsel, India, Middle East & Africa; Shri Prashant Pandey, Chief Legal & Compliance Officer and Ms. Jayenthy Rodrigues, Head of Compliance and on behalf of the Authority, Shri PK Arora (Member-Actuary), Shri Rajay Kumar Sinha (Member-F&I), Shri R K Sharma (CGM), Shri T.V. Rao (GM), Shri Sanjay Kr. Verma (GM) and Shri Saket Gupta (Manager) attended the hearing.

2.5. दलाल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2022 में किये गये प्रस्तुतीकरणों, ई-मेल दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अनुसार एससीएन के बाद किये गये प्रस्तुतीकरण और 30 जुलाई, 2024 को वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों तथा दिनांक 14 अगस्त, 2024 और 20 अगस्त, 2024 के ई-मेलों के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों पर प्राधिकरण द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

The submissions made by the Broker in its letter dated 7th March, 2022, submission made after SCN vide email dated 21st February, 2024 and submissions during the personal hearing on 30th July, 2024 and those made vide email dated 14th August, 2024 and 20th August, 2024 have been carefully considered by the Authority and are summarized below:

3. आरोप-1 / Charge-1 (टिप्पणी-5 / Observation-5)

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 33(2) के अंतर्गत अनुसूची-II-फार्म यू का खंड (च) का **उल्लंघन** जिसका पाठ निम्नानुसार है:

Violation of Clause (f) of Schedule II-Form U under Regulation 33(2) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 which reads as under:

“(च) वह प्राप्त प्रीमियम/दावे तत्परतापूर्वक पुनर्बीमाकर्ताओं/बीमाकर्ताओं/विदेशी बीमा दलालों को विप्रेषित करेगा, परंतु पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि में अथवा उनके बीमा बैंक खाते में उक्त धनराशियों की प्राप्ति की तारीख से व्यवसाय करार की शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप में विप्रेषित करेगा। विप्रेषण में किसी भी विलंब की सूचना पुनर्बीमाकर्ता/ बीमाकर्ता/विदेशी बीमा दलाल को दी जाएगी और ऐसे विलंब के लिए उनकी लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी;”

“(f) he shall take steps to promptly remit premiums/claims received to reinsurers/insurers/foreign insurance brokers, but not later than by fifteen days or as specified in the Terms of Business Agreement from the date of receipt of the monies into their Insurance Bank Account. Any delay in remittance shall be informed to the reinsurer/insurer / foreign insurance broker and shall take their written consent for such delay;”

3.1. निरीक्षण टिप्पणी-5 / Inspection Observation-5

यह पाया गया कि दलाल ने ग्राहकों से बीमा बैंक खाते (आईबीए) में प्राप्त प्रीमियम 15 दिन से अधिक समय के लिए रखा। दलाल ने प्रीमियम 15 दिन की समय-सीमा के अंदर बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को विप्रेषित नहीं किया।

It was observed that the Broker held the premium received from the clients in Insurance Bank Account (IBA) for more than 15 days. The broker did not remit the premium to the insurer/reinsurer within the time limit of 15 days.

3.2. दलाल के प्रस्तुतीकरणों का सारांश / Summary of Broker's Submissions:

3.2.1. फेमा और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देश विदेश में प्रीमियमों का विप्रेषण करने के लिए अनिवार्य कर और अन्य दस्तावेजों के संग्रहण को पूर्वापेक्षा के रूप में निर्धारित करते हैं। इन दस्तावेजों की अपेक्षा अध्वर्पक और पुनर्बीमाकर्ता को अग्रिम रूप से विधिवत् सूचित की जाती है। प्रीमियम के विप्रेषण के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता की जानकारी होते हुए भी, इन्हें प्रस्तुत करने में यदा-कदा विलंब हुआ है, जिसके कारण 15 दिन के अंदर प्रीमियम के विप्रेषण में विलंब हुआ है। आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियमों की अनुसूची II – फार्म यू प्रीमियम के विप्रेषण में परिचालनगत विलंब को मान्यता देता है, तथा विलंब के नियमन के लिए पुनर्बीमाकर्ता/ बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमा दलाल को सूचना और उनकी प्राप्ति-स्वीकृति के माध्यम से व्यवस्था करता है। दलाल ने कुछ उदाहरण बताये जहाँ विप्रेषण में मध्यवर्ती अंतराल की सूचना विधिवत् पुनर्बीमाकर्ता / बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमा दलाल को दी गई थी।

Provisions of FEMA and other RBI Guidelines stipulate collection of mandatory tax and other documents as pre-requisite to remittance of premiums abroad. Requirement for these documents are duly notified to cedant and reinsurer in advance. Despite knowledge of these documents being necessary for remittance of premium, there were occasional delays in furnishing these, causing delay in remittance of premium within 15 days. Schedule II – Form U of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, recognizes operational delays in remittance of premium, and provides for regularization of delay through notification to reinsurer / insurer / foreign reinsurance broker and their acknowledgement. The Broker pointed out certain instances where the intervening lag in remittance was duly notified to reinsurer / insurer / foreign reinsurance broker.

- 3.2.2 प्रीमियम भुगतान वारंटियों को प्रीमियम भुगतान शर्तों के रूप में परिवर्तित किया गया है जो कवरेज की निरंतरता का ध्यान रखती हैं। विकल्पी (फैकल्टेटिव) व्यवसाय के लिए प्रीमियम अधिकांश मामलों में दस्तावेजों की विद्यमानता के बाद ही वसूल किया जा रहा है।

Premium payment warranties have been changed to Premium Payment Conditions which allow the continuity of coverage. Premium for facultative business is being collected in most cases only after all the documents are in place.

- 3.2.3 उक्त राशियाँ ब्याज-रहित खाते में पड़ी रही थीं और दलाल ने उक्त राशियों पर कोई धनराशि अर्जित नहीं की। दलाल ने आगे प्रस्तुतीकरण किया कि एससीएन के अंतर्गत निरीक्षण टिप्पणी में विशेष बल दिये गये नमूना मामलों को संतोषजनक ढंग से समाप्त किया गया और प्रीमियम विप्रेषित किये गये।

The amounts were lying in non-interest bearing account and the Broker did not earn any money on the amounts. The Broker further submitted that sample cases highlighted in the inspection observation under the SCN were satisfactorily closed and the premiums were remitted.

- 3.2.4 बीमाकर्ताओं ने सुस्पष्ट रूप से टीओबीएओ पर हस्ताक्षर करने में अनिच्छा दर्शाई है, इस कारण से उनकी अंतर्निहित या मानी गई सहमति को तब तक टीओबीए के लिए अनुमोदन के रूप में लिया गया है, जब तक वे दलाल की सेवाएँ लेना जारी रखते हैं। The insurers have showed reluctance in signing the TOBAs explicitly therefore their implied or deemed consent is taken as approval for TOBA as long as they continue to take the services of the Broker.

- 3.2.5 दलाल ने आगे कहा कि टीओबीएओ का पालन करने हेतु बीमाकर्ताओं को निदेश देने के लिए उन्होंने आईआरडीएआई से निवेदन किया है।

The Broker further said that they have represented to the IRDAI for directing the insures to abide by the TOBAs.

3.3 आरोप 1 पर निर्णय / Decision on Charge 1:

3.3.1 दलाल से कहा गया कि एससीएन के अंतर्गत निरीक्षण टिप्पणी के अनुबंध 35(क), (ख) और (ग) के अंतर्गत उल्लिखित प्रत्येक मामले के संबंध में टीओबीएओं में समय-सीमाओं सहित विलंब के लिए कारण प्रस्तुत करे जहाँ कुछ मामलों में देखा गया था कि प्रीमियम के विप्रेषण में विलंब 900 दिन से अधिक है। संबंधित राशियों सहित विलंब का वास्तविक विश्लेषित विवरण नीचे दिया गया है:

The Broker was asked to furnish the reasons for delay including the timelines in TOBAs against each cases mentioned under Annexure 35(a), (b) and (c) to the inspection observation under the SCN where in some cases, the delay in remittance of premium was observed to be more than 900 days. The exact break up of delays along with the amounts is provided below:

वित्तीय वर्ष FY	विवरण Particulars	विलंब Delay (1-30 दिन / days)	विलंब Delay (31-90) दिन / days)	विलंब Delay (91-120 दिन / days)	विलंब Delay (120-180 दिन / days)	विलंब Delay (180 और उससे अधिक दिन) / (180 and beyond days)	कुल Total
2018-19	मामलों की संख्या No of cases	253	58	17	13	29	370
	राशि Amount	3,28,26,00,626	36,45,96,788	9,58,36,274	3,42,05,938	4,19,51,740	3,81,91,91,366
2019-20	मामलों की संख्या No of cases	56	13	01	00	05	75
	राशि Amount	3,71,71,39,061	15,95,87,909	15,10,604	0	34,58,287	3,88,16,95,861
2020-21	मामलों की संख्या No of cases	234	96	17	19	15	381
	राशि Amount	3,66,69,04,758	75,93,20,186	27,44,92,568	12,02,63,233	1,22,77,656	4,83,32,58,400
कुल Total	मामलों की संख्या No of cases	543	167	35	32	49	826
	राशि Amount	10,66,66,44,445	1,28,35,04,883	37,18,39,445	15,44,69,171	5,76,87,682	12,53,41,45,627

*15 दिन तक किये गये विप्रेषण विलंबित रूप में नहीं माने गये हैं।

* Remittances done up to 15 days are not considered as delayed.

अंतिम आदेश – मार्श इंडिया इश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

Final Order – In the matter of Marsh India Insurance Brokers Pvt. Ltd.,

पृष्ठ / Page 5 / 9

- 3.3.2 बहस करने के लिए, भले ही टीओबीएओं के लिए सहमति को 'मानी गई' सहमति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो भी दलाल पूर्वोक्त अनुबंधों में उल्लिखित मामलों के संबंध में कारण नहीं बता सका कि प्रीमियम के विप्रेषण में असाधारण विलंब या तो आरबीआई की अपेक्षाओं के कारण थे, दस्तावेजी अपेक्षाओं के कारण थे अथवा दलाल के द्वारा किये गये टीओबीएओं में निर्धारित रूप में थे। मात्र यह कहते हुए कि अनेक परिवर्तों हैं जिनके कारण मामलों के साथ विशिष्ट रूप से उपयुक्त स्पष्टीकरण अंकित किये बिना प्रीमियम विप्रेषित नहीं किया जा सका, केवल बहानेबाजी है तथा इससे प्राधिकरण को संतोष नहीं दिलाया जा सकता कि दलाल ने समय पर पुनर्बीमा विप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ और कुशल प्रणालियाँ और नियंत्रण लागू किये हैं तथा इसके द्वारा आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II-फार्म यू के खंड (च) का प्रयोजन ही विफल हुआ है। अब तक या तो एससीएन के लिए उत्तर में या अनुवर्ती उत्तरों में अनुबंध 35(क), (ख) और (ग) में बताये गये मामलों के लिए दलाल के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

Arguendo, even if the consent to TOBAs is accepted as “deemed” consent, the Broker has failed to showcase against the cases mentioned in the aforesaid annexures that the inordinate delays in remittance of premium were either on account of RBI requirements, documentary requirements or as stipulated in TOBAs entered into by the Broker. Merely stating that there are multiple variables due to which the premium could not be remitted without specifically tagging the cases with suitable explanations is evasive and fails to satisfy the Authority that the Broker has put in place robust and efficient systems and controls to ensure timely remittance of reinsurance premiums thereby defeating the very purpose of clause (f) of Schedule II-Form U of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018. So far, there is no explanation by the Broker for the named cases in Annexures 35 (a), (b) and (c) either in the reply to SCN or the further replies.

- 3.3.3 दलाल का प्रस्तुतीकरण कि राशियाँ एक ब्याज-रहित खाते में रखी गई हैं, समस्या का समाधान नहीं करता, क्योंकि दलाल निर्धारित समय के अंदर देय राशियाँ विप्रेषित करने की बाध्यता के अधीन था, जब तक कि उसने उक्त विलंब के लिए पुनर्बीमाकर्ता की लिखित सहमति नहीं ली हो। The Broker's submission that the amounts are lying in a non-interest bearing account does not address the concern, as the Broker was under obligation to remit the dues within stipulated time unless it has taken written consent of reinsurer for the delay.
- 3.3.4 यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपर्युक्त उल्लंघन के संबंध में रु. 76.95 करोड़ तक राशियों के विप्रेषण में विलंब के लिए एक परामर्शक (एडवाइजरी) पत्र दिनांक 19.10.2019 के द्वारा जारी किया गया था। वैयक्तिक सुनवाई के दौरान दलाल ने तर्क किया था कि वर्तमान एससीएन में आरोपित उल्लंघन नहीं दोहराया गया क्योंकि अनुसूची-II-फार्म यू के खंड (च) के अंतर्गत विद्यमान अपेक्षा पूर्व के दलाल विनियम, 2013 का भाग नहीं था। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व के निरीक्षण के दौरान सुस्पष्ट उपबंध के अभाव में भी विनियामक उद्देश्य आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II-फार्म यू के खंड (च) का ही था। किसी पुनर्बीमा दलाल से यह प्रत्याशा नहीं की जाती कि वह ऐसी धनराशियाँ अपने पास रखा रहे, जो एक उचित समय से बाद

पुनर्बीमाकर्ताओं को देय हैं। सही रूप में इसी कारण से दलाल को निर्धारित समय के अंदर पुनर्बीमा प्रीमियम विप्रेषित करने के लिए सूचित किया गया था। दलाल ने ई-मेल दिनांक 11 नवंबर, 2019 के द्वारा प्राधिकरण की सूचना के संबंध में अपने अनुपालन की पुष्टि की थी तथा अपनी ओर से अनुसूची II-फार्म यू का अनुपालन दर्शाया था। पूर्व में दिये गये परामर्शक (एडवाइजरी) के बावजूद, दलाल ने पूर्व के परामर्शक के निर्गम की तारीख से पाँच वर्ष के बाद भी उक्त प्रणालियों में सुधार नहीं किया है, जहाँ तक धनराशियों/प्रीमियम के विप्रेषण का संबंध है।

It is pertinent to mention that on the said violation, an Advisory was issued vide letter dated 19.10.2019 for delay in remittance of amounts to the tune of Rs. 76.95 crores. The Broker contested during the personal hearing that the violation alleged in extant SCN is not repeated as the requirement under clause (f) of Schedule II-Form U was not part of erstwhile Brokers Regulations of 2013. It is to be noted that the regulatory intent even in the absence of explicit provision during erstwhile inspection was same as that of clause (f) of Schedule II-Form U of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018. A Re-Insurance Broker is not expected to sit on monies which are due to the reinsurers beyond a reasonable time. Precisely, for this reason, the Broker was advised to remit the reinsurance premiums within time. The Broker had confirmed their compliance of Authority's advice vide email dated 11th November, 2019 and showed compliance of Schedule II Form U on their own accord. In spite of earlier Advisory, the Broker has failed to improve the systems even after five years from the date of issuance of the erstwhile Advisory, as far as the remittance of monies/premium is concerned.

- 3.3.5 विप्रेषण में उक्त विलंब परिचालनगत अकुशलता का और साथ ही, विनियामक दायित्वों का अनुपालन करने में दलाल की विफलता का भी प्रमाण है। इस प्रकार, दलाल ने आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II-फार्म यू (च) का उल्लंघन किया है।

The delay in remittance is an evidence of operational inefficiency and also failure to comply with the regulatory obligations of the Broker. Thus, the Broker has violated Schedule II-Form U (f) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

- 3.3.6 उपर्युक्त को और लंबी अवधि से इसी प्रकार के उल्लंघनों के बने रहने के वृत्त को देखते हुए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II-फार्म यू के खंड (च) के उल्लंघन के लिए इसके द्वारा रु. एक करोड़ (1 करोड़) का अर्थदंड लगाता है क्योंकि उक्त उल्लंघन तीन वर्ष से अधिक समय के लिए जारी रहा है।

In view of the above and a history of similar violations persisting for long, in exercise of the powers vested under Section 102(b) of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby imposes a penalty of Rs. One Crore (1 Crore) for the violation of clause (f) of Schedule II-Form U of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 since the violation has continued to occur for more than three years.

3.3.7 इसके अलावा, दलाल को निदेश दिया जाता है कि

Further, the Broker is directed to

क) सभी लंबित विप्रेषणों की समीक्षा करे और 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार लंबित विप्रेषणों की स्थिति सहित, की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट फाइल करे।

a) Undertake a review of all pending remittances and file an action taken report including the status of pending remittances as on 30-09-2024.

ख) आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा करे और प्रक्रियाओं में विद्यमान कमियों की पहचान करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-योजना बनाये कि विनियमों के अनुसार अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये प्रतिवर्तन (टर्न अराउंड) कालों के अनुरूप औसत विलंब को लाने के लिए समस्याओं का समाधान किया जाए और सुधारात्मक कार्रवाइयाँ लागू की जाएँ।

b) Review internal controls and identify deficiencies in processes and draw an action plan to ensure that issues are addressed and corrective actions are implemented to bring average delay with mandated Turn Around Times as per Regulations.

4 निर्णयों का सारांश / Summary of Decisions:

आरोप सं. Charge. No.	उपबंधों का उल्लंघन / Violation of Provisions	निर्णय Decision
1	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II-फार्म यू का खंड (च) Clause (f) of Schedule II-Form U of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.	रु. एक करोड़ का अर्थदंड और निदेश Penalty of Rs. One Crore and Direction

- 5 दलाल के द्वारा रु. एक करोड़ (1 करोड़) के अर्थदंड की उक्त राशि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर एनईएफटी/आरटीजीएस (जिसके लिए विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से विप्रेषित की जाएगी। विप्रेषण की सूचना श्री टी. वेंकटेश्वर राव, महाप्रबंधक (प्रवर्तन और अनुपालन) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032, ई-मेल आईडी: enforcement@irdai.gov.in के पते पर भेजी जाए।

The penalty amount of Rs. One Crore (1 Crore) shall be remitted by the Broker within a period of forty-five days from the date of receipt of this order through NEFT/RTGS (details for which will be communicated separately). An intimation of remittance may be sent to Shri T. Venkateswara Rao, General Manager (Enforcement & Compliance) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, email id enforcement@irdai.gov.in.

6 इसके अतिरिक्त / Further,

क) यह आदेश दलाल के बोर्ड के समक्ष आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा तथा दलाल विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

a) The Order shall be placed before the Board of the Broker in the upcoming Board Meeting and the Broker shall provide a copy of the minutes of the discussion.

ख) दलाल दिये गये निदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण को इस आदेश की तारीख से 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

b) The Broker shall submit an Action Taken Report to the Authority on direction given within 90 days from the date of this Order.

7 यदि दलाल इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है

If the Broker feels aggrieved by this Order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.

राजय कुमार सिन्हा / Rajay Kumar Sinha
सदस्य / Member (वित्त एवं निवेश / F&I)

पी के अरोड़ा / PK Arora
सदस्य / Member (बीमांकक / Actuary)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date: 14th October / 14 अक्टूबर, 2024